संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

क्रमांक/4/शिका./सेल-1/टीकमगढ/2018/ 01 भोपाल दिनांक 01-1-18

प्रति,

डॉ. हर्ष गुप्ता,
मेडीकल ऑफीसर,(निलंबित)
जिला चिकित्सालय, टीकमगढ म.प्र. ।

द्वारा:- मुख्य चिकित्सा एंव स्वास्थ्य अधिकारी जिला टीकमगढ म.प्र. ।

विषय:-आरोप पत्र-डॉ. हर्ष गुप्ता, मेडीकल ऑफीसर,(निलंबित) जिला चिकित्सालय टीकमगढ म.प्र. ।

आपको सूचित किया जाता है कि म.प्र. सिविल सेवा (वर्गीकरण,नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के तहत आपके विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही करने का प्रस्ताव है । उसका उल्लेख आरोप पत्र में दिया गया हैं। अभिकथन जिस पर आरोप आधारित है उसका विवरण संलग्न अभिकथन पत्र में दिये गये अनुसार है। अभिकथन पत्र के अभिलेखों की सूची तथा गवाहों की सूची जिसके आधार पर आरोप प्रस्तावित है। वह भी संलग्न हैं ।

1. आपसे इस पत्र के द्वारा यह अपेक्षा की जाती है कि पत्र मिलने के 15 दिवस के अन्दर आप अपना प्रतिवाद उत्तर अधोहस्ताक्षरकर्ता को भेजे साथ ही यह बतायें कि:-

(अ) क्या आप व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर चाहते है ।

(ब) यदि आप अपने बचाव पक्ष में किसी गवाह आदि का नाम देना चाहते है तो उन गवाहों की सूची पूर्ण पते सहित भेजें ।

(स) यदि आप अपने बचाव पक्ष में किन्ही अभिलेखों को प्रस्तुत करना चाहते है तो उन अभिलेखों की सूची विस्तृत जानकारी के साथ प्रस्तुत करें ।

(द) यदि आप आरोप पत्र आदि के साथ सलंग्न सूची में दर्शित अभिलेखों का अवलोकन करना चाहते है तो आप किसी भी कार्य दिवस के अन्दर देखें । यह कार्य इस पत्र के प्राप्त होने के 10 दिवस के अन्दर समाप्त कर दिया जावेगा ।

2. आपको यह भी सूचित किया जाता है कि यदि आपके बचाव पक्ष का लिखित उत्तर 15 दिवस के अन्दर प्राप्तनहीं होता है तो आपके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही कर दी जावेगीं । जिसके लिये आप स्वयं उत्तरदायी होगें ।
3. इस पत्र के प्राप्त होने की अभिस्वीकृति अविलंब भेजने का कष्ट करें ।

संलग्न:-

1. आरोप पत्र, 2.अभिकथन पत्र,
3. अभिलेखों की सूची, गवाहों की सूची,

स्वास्थ्य आयुक्त द्वारा अनुमोदित.

(डॉ.जे.पी. खरे)
उप संचालक(शिकायत)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

कमांक/4/शिका./सेल–1/टीकमगढ/2017 **भोपाल दिनांक**

प्रतिलिपी'– सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन भोपाल म.प्र.।
2. निज सहायक स्वास्थ्य आयुक्त स्थानीय कार्यालय।
3. कलेक्टर, जिला टीकमगढ म.प्र.।
4. उप संचालक, विज्ञप्त, गोपनीय, लीगल स्थानीय कार्यालय।
5. क्षैत्रीय संचालक, स्वास्थ्य सेवाये, सागर संभाग सागर म.प्र.।
6. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला टीकमगढ म.प्र. की ओर भेजकर निर्देशित किया जाता हैं कि जारी आरोप पत्र संबंधित डॉ. हर्ष गुप्ता, मेडीकल ऑफीसर को तामील कराते हुए तामिली रिपार्ट संचालनालय के समय सीमा में भेजना सुनिश्चित करें ।
7. सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक, जिला चिकित्सालय टीकमगढ म.प्र. ।
8. डॉ. हर्ष गुप्ता, मेडिकल ऑफीसर, जिला चिकित्सालय टीकमगढ की ओर पालनार्थ द्वाराः– मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी टीकमगढ ।
9. प्रभारी एम.आई.सेल स्थानीय कार्यालय की ओर भेजकर निर्देशित किया जाता है कि जारी आदेश विभाग की बेवसाइट पर अपलोड करावें।
10. आदेश नस्ति

उप संचालक (शिकायत)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

आरोप पत्र

डॉ. हर्ष गुप्ता, मेडीकल ऑफीसर,(निलंबित) जिला चिकित्सालय, टीकमगढ म. प्र. के विरूद्ध म. प्र. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 के नियम 14(3) के तहत निम्नलिखित आरोप अधिरोपित किये जाते हैं :-

आरोप कमांक 1:-

यह कि आप डॉ. हर्ष गुप्ता, मेडीकल ऑफीसर, जिला चिकित्सालय टीकमगढ म. प्र. में तत्समय पदस्थ थें ।

यह कि कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी टीकमगढ ने पत्र दिनांक 12.10.2017 प्रेषित कर अवगत करवाया है कि आप कर्त्तव्य अवधि के दौरान नियम विरूद्ध प्रायवेट प्रेक्टिस करने हेतु निजी नर्सिंग होम आयुष्मान हॉस्पिटल में दिनांक 25.09.17 को निश्चेतना सेवायें देते पाये गये, परामर्शदात्री सेवायें देने के आदेश का पालन न करना, चिकित्सालय में रात्रि में सी-सेक्शन में निश्चेतना सेवाओं हेतु स्त्रीरोग चिकित्सक द्वारा कॉल करने पर स्पष्ट मना करने तथा कॉल ले जाने वाली वार्ड आया के आने पर दरवाजा न खोलना, शासकीय चिकित्सालय में इमरजेंसी ड्यूटी करने से इंकार करना, बिना अनुमति के मुख्यालय से बाहर रहना, मरीजों के साथ असंवेदनशीलता एवं उनके परिजनों से अभद्रता, तथा वरिष्ठ अधिकारियों के द्वारा दिये गये निर्देशों की अवहेलना करना पाया गया है ।

आरोप कमांक 2:-

यह कि आपके द्वारा चिकित्सालय में शासकीय पदीय कर्त्तव्यों के दौरान मरीज एवं उसके परिजनों को डरा धमकाकर उनसे धनराशि/सेवाशुल्क की मांग की जाती है । मरीजों/परिजनों द्वारा धनराशि न देने पर आपके द्वारा सही रिपोर्ट आदि नहीं बनाया जाना पाया गया है ।

आप अपने पदीय कर्त्तव्यों/दायित्वों के निर्वहन में असफल रहते हुए आपके द्वारा मध्यप्रदेश सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम (3) के उप नियम (i)(ii)(iii) का उल्लंघन कर आपने स्वयं को अनुशासनात्मक कार्यवाही का भागी बना लिया हैं ।

स्वास्थ्य आयुक्त द्वारा अनुमोदित.

उप संचालक (शिकायत)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

अभिकथन

डॉ. हर्ष गुप्ता, मेडीकल ऑफीसर, (निलंबित) जिला चिकित्सालय टीकमगढ म. प्र. के विरूद्ध म. प्र. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 के नियम 14 (3) के तहत अभिकथन पत्रक:–

आरोप कमांक 1 के लिये:–

यह कि आप डॉ. हर्ष गुप्ता, मेडीकल ऑफीसर, जिला चिकित्सालय टीकमगढ म. प्र. में पदस्थ थें ।

यह कि कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी टीकमगढ ने पत्र दिनांक 12.10.2017 प्रेषित कर अवगत करवाया है कि आप कर्त्तव्य अवधि के दौरान नियम विरूद्ध प्रायवेट प्रेक्टिस करने हेतु निजी नर्सिग होम आयुष्मान हॉस्पिटल में जाना, दिनांक 25.09.17 को वहां जाकर निश्चेतना सेवायें दी जहां उन्हे पत्रकारों द्वारा देखा गया जिसकी जानकारी विभाग के अधिकारियों को दी । सिविल सर्जन द्वारा कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया था । प्रतिवाद उत्तर में द्वारा आयूष्मान नर्सिंग होम में एनेस्थीसिया देने की बात मानकर यह लेख किया कि नर्सिंग होम में प्राइवेट प्रेक्टिस की है कोई पाप नहीं किया।

यह कि आपके केवल परामर्शदात्री सेवायें देने का पालन न करना, चिकित्सालय में रात्रि में सी–सेक्शन में निश्चेतना सेवाओं हेतु स्त्रीरोग चिकित्सक द्वारा कॉल करने पर स्पष्ट मना करते हुए यह कहना कि मैं निश्चेतना विशेषज्ञ नहीं हूं, कॉल पर क्यों आऊं तथा कॉल ले जाने वाली वार्ड आया के आने पर दरवाजा नहीं खोलते है एवं अन्दर से मना कर देते हैं।

यह कि शासकीय चिकित्सालय में इमरजेंसी ड्यूटी करने से इंकार किया जाता हैं। सिविल सर्जन द्वारा इमरजेंसी डियूटी करने हेतु आदेशित करने पर डयूटी करने से इंकार कर दिया जाता है । इस बावत आपको कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया जिस पर आपके द्वारा कोई जवाब नही दिया गया है ।

आरोप कमांक 2 के लिये:–

यह कि आपके द्वारा आपरेशन थियेटर में मरीज के प्रवेश उपरांतक बाहर उनके परिजनों को डरा धमकाकर पैसे मांगने की शिकायत भी मिली हैं दिनांक 04.10.17 को इमरजेंसी डयूटी के दौरान महिला सर्जीकल वार्ड में भर्ती मरीज रिंकी नायक को शिकायत होने पर उनके परिजनों न आपसे संपर्क कर देखने के लिये कहा उस समय आपने मरीज के परिजन से धनराशि की मांग की जिससे आकोशित होकर मरीज के पिता ने कुछ नेताओं को बुलाकर अस्पताल में हंगामा किया।

निरंतर........5

यह कि आप मानवीय संवेदनाओं से रहित कर्तव्य के प्रति लापरवाह, उदासीन एवं शासन के आदेशों की अवहेलना ,मरीजों के साथ असंवेदनशीलता एवं उनके परिजनों के साथ अभद्रता, तथा बिना अनुमति के मुख्यालय से बाहर रहना तथा वरिष्ठ अधिकारियों के द्वारा दिये गये निर्देशों की अवहेलना करना पाया गया है।

आप अपने पदीय कर्त्तव्यों/दायित्वों के निर्वहन में असफल रहते हुए आपके द्वारा मध्यप्रदेश सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम (3) के उप नियम (i)(ii)(iii) का उल्लंघन कर आपने स्वयं को अनुशासनात्मक कार्यवाही का भागी बना लिया हैं ।

<u>स्वास्थ्य आयुक्त द्वारा अनुमोदित.</u>

उप संचालक (शिकायत)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

अभिलेखों की सूची

डॉ. हर्ष गुप्ता, मेडीकल ऑफीसर,(निलंबित) जिला चिकित्सालय टीकमगढ म.प्र. के विरूद्ध म.प्र.सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 के नियम 14(3) के अन्तर्गत अधिरोपित आरोपों के संबंध में अभिलेखों की सूचीः—

01. कार्यालय कलेक्टर जिला टीकमगढ म. प्र. का पत्र क्रमांक 4738 दिनांक 12.10.17 ।
02. कार्यालय सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक जिला टीकमगढ के पत्र दिनांक 25.09.17, 01.10.17 एवं 06.10.207 ।
03. मो. रफीक तनय मोहम्मद हुसैन निवासी हनुमंत स्कूल के बगल में, मोटे का मुहल्ला टीकमगढ म. प्र. का पत्र ।

स्वास्थ्य आयुक्त द्वारा अनुमोदित.

उप संचालक(शिकायत)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

गवाहों की सूची

डॉ. हर्ष गुप्ता, मेडीकल ऑफीसर,(निलंबित) जिला चिकित्सालय टीकमगढ म. प्र. के विरूद्ध म. प्र. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 के नियम 14(3) के अन्तर्गत अधिरोपित आरोपों के संबंध में गवाहों की सूचीः—

01. सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक जिला टीकमगढ ।
02. मो. रफीक तनय मोहम्मद हुसैन, निवासी हनुमंत स्कूल के बगल में, मोटे का मुहल्ला टीकमगढ म. प्र.।

स्वास्थ्य आयुक्त द्वारा अनुमोदित.

उप संचालक(शिकायत)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश